

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 10<sup>th</sup> April, 2015

S.O.------(E). In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Punjab State Electricity Regulatory Commission', constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of processing fee for determination of tariff;
  - (b) amount received in the form of licence fee;
  - (c) amount in the form of petition fee; and
  - (d) amount of interest income earned on bank deposits.
2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.
3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Punjab State Electricity Regulatory Commission :-
- (a) does not engage in any commercial activity;
  - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

(Notification No. 36 /2015 F.No.196/42/2012-ITA.1)



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, पंजाब सरकार द्वारा गठित, "पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग (पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) को, उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त राशि;
  - (ख) लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त राशि;
  - (ग) याचिका फीस के रूप में प्राप्त राशि;
  - (घ) बैंक जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज आय की राशि।
2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 के लिए भी लागू होगी।
  3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अन्वये प्रभावी होगी; कि पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग-
    - (क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;
    - (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
    - (ग) यह अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या .....36...../2015 फा.सं. 196/42/2012-आयकर नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।